उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर अनुभाग–2 संख्या–357/ग्यारह–2–9(42)/17–2020 लखनऊ::दिनांक:: 06 मार्च, 2020

शुद्धि-पत्र

दिनांक 02 जनवरी, 2020 के उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 द्वारा जारी शुद्धि—पत्र संख्या—क0नि0—2—03 /ग्यारह—9(42)/17—2019 दिनांक 02 जनवरी, 2020 के,—

- (क) हिन्दी पाठ में 18वीं पंक्ति में, 1. संक्षिप्त नाम शीर्षक में, शब्द ''उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (किंवनाईयों को दूर करना, ग्यारहवाँ) आदेश, 2019" के स्थान पर शब्द ''उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर {किंवनाईयों को दूर करना, ग्यारहवाँ(अ)} आदेश, 2019" पढ़ा जाय।
- (ख) अंग्रेजी पाठ में 20वीं पंक्ति में, 1. Short title शीर्षक में, शब्द "This Order may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Eleventh Removal of Difficulties) Order, 2019" के स्थान पर शब्द "This Order may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Eleventh (A) Removal of Difficulties) Order, 2019" पढ़ा जाय।

आज्ञा से.

्रीयातीक सिन्हा) अपर मुख्य सचिव।